न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:—582 / 2022
हसपुरा थाना कांड संख्या :—150 / 2022

01.10.2022 आवेदक राजु कुमार की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है । आवेदक की ओर से उक्त वाद में जप्त वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक की ओर से दाखिल पूर्वभाषी जमानत आवेदन संख्या—ए0बी0पी0नं0—926 / 2022 है । आवेदक को उक्त वाद में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है । आवेदक उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर निवंधन सं0—BR26GA2151 एवं टेलर निवंधन सं0—BR26GA2662 का स्वामी एवं चालक है । आवेदक की ओर से जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध बालू चोरी करने के आरोप में धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । आवेदक की ओर से हरजाना की राशि जमा कर दी गई है, जिससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक—1506 / ख0 दिनांक—30.08.2022 से समर्पित किया गया है, जिसमें दर्शित है कि मो0—31,825 / —रूपया जमा की गई है एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक—1055 / परि0 दिनांक—30.08.2022 से प्रतिवेदन के साथ चालान की मूल प्रति भी समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि आवेदक के द्वारा मो0—53500 / —रूपया जमा किया गया है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक विचारण का सामना करेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक को मो0—15000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।